Efforts are being made to increase turnover by utilising the sparable capacities for other customers, including police forces. The value of sales for such other customers and the percentage it constitutes of the total sales in the last four years is given below:—

	Value (Rs. crore)	Percentage of total sales
1990-91	102	6.6
1991-92	174	11·0
1992-93	271	15.2
1993-94	418	21.0

(c) Excess capacity has been deliberately maintained for selected items so that it may be utilised to respond to surge requirements.

(d) Indigenous production of 155mm ammunition has already been started. A few types of the ammunition have been established and supplied to the Army.

आयुधशालाओं में प्रशिक्षित शिक्षु

341. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 में यथासंशोधित शिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत देश की विभिन्न आयुधशालाओं में मार्च, 1993 तक प्रशिक्षित शिक्षुओं की संख्या कितनी है ;

(ख) 30 जून, 1994 तक आयुधशालाओं में रोजगार उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षित व्यवसाय शिक्षुओं और प्रत्येक आयुधशालाओं में खपाये गये प्रशिक्षित शिक्षुओं की संख्या कितनी है ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान खमहरिया स्थित आयुधशाला, जबलपुर स्थित, तोपगाड़ी फैक्टरी, कटनी स्थित आयुधशाला, जबलपुर स्थित वाहन फैक्टरी, जबलपुर स्थित गे आयरन फैक्टरी तथा इटारसी स्थित आयुधशाला में खपाये गये प्रशिक्षित व्यवसाय शिक्षुओं की संख्या कितनी-कितनी है; और

(घ) शेष प्रशिक्षित शिक्षुओं को कब तक खपा लिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) विभिन्न आयुध निर्माणियों मे मार्च, 1993 की समाप्ति तक चार वर्षों के दौरान 1973 में यथासंशोधित ट्रेड अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत जिन व्यवसाय प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उनकी संख्या इस प्रकार है:—

अवधि	व्यवसाय प्रशिक्षुओं की संख्या
1989–90	793
1990–91	701
1991–92	791
1992–93	1156

अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माणी को निर्धारित संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षुता मुहैया करवानी होती है किन्तु प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को खपाये जाने का दायित्व निर्माणी का नहीं होता है । प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद व्यवसाय प्रशिक्षु कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं । आयुध निर्माणियों में उन्हें खपाये जाने पर भी विचार किया जाता है जब अधिसूचित रिक्तियों के लिये अन्य अभ्यर्थियों के साथ उनका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा भेजा जाता है । पहले से ही उपलब्ध अधिक जनशक्ति को देखते हुये प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित निर्माणियों में मार्च 1994 तक चार वर्षों में व्यवसाय प्रशिक्षुओं सहित कोई भर्ती नहीं की गई है ।

Deployment of Prithvi missile

342. SHRI SIKANDER BAKHT: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Prithvi Missile has been handed over to the Army for deployment;

(b) if not, what are the reasons therefor; and

(c) by when Government propose to make the missile available to the Armed Forces for thier use?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c) The Phase of User Trials has been recently concluded. Subsequent activities are being progressed.

Pilferage of spare parts of MIG fighter planes

343. PROF.O. P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there have been cases of pilferage of spare parts of MIG fighter aircraft from the Hangars;

(b) if so, the details of such cases and the circumstances under which all this could happen;

(c) whether any probe has been made into these thefts and if so, the outcome thereof;

(d) whether this has marked a question mark of the security of defence equipment and what steps have been taken to further tighten the security arrangements; and

(e) the total number of thefts that have come to light in the defence installations in the country, with details thereof as also the final outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) No thefts have been reported to MIG spare parts from IAF hangars.

(b) to (d) Do not arise.

(e) As regards the IAF, there have been some minor cases of theft of airfield lights, aircraft batteries and bullet proof plates. These have been investigated and appropriate measures taken to tighten the security.

बिहार के नेतरहाट क्षेत्र में युद्धाभ्यासों के विरुद्ध अभ्यावेदन

344. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार के नेतरहाट क्षेत्र में युद्धाभ्यास रोके जाने के लिये राज्य सरकार अथवा स्थानीय लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उस क्षेत्र में ये युद्धाभ्यास कब से किये जा रहे थे और इस विवाद के उठने के क्या कारण हैं ?